न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 16/2024
GCMS NO. : 2024/25

–:: प्रार्थीगण ::–

1. लबूरराम पुत्र दयालराम
   जाति–मेघवाल, निवासी–खाखडकी
   तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर
   राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. दयालराम पुत्र मोहनलाल
2. छोटूडी पुत्री मोहनलाल
3. तुलछाई पुत्री मोहनलाल
4. मुथराई पुत्री मोहनलाल
5. शारदा पुत्री मोहनलाल
6. सुगना पुत्री मोहनलाल
7. साबुडी पुत्री मोहनलाल
8. रामप्यारी पत्नी मोहनलाल
   (विलोपित)
   जातियान–बावरी,निवासीगण–खराड़ी,
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
   राज0।
9. तहसीलदार, जैतारण, तहसील–
   जैतरण

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 18/01/2024

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 22/10/2024

वकील मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खराडी पटवार हल्का डिगरना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0 मे सायल की खरीद सुदा कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 994/8 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त आराजी मे से सायल ने 50/138 वां हिस्सा अर्थात 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि सायल ने खरीद की तब से मौके पर निर्विवाद रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नकल रजिस्टर्ड बेचाननामा एवं जमाबन्दी की प्रार्थनापत्र के सांथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी सायल ने दिनांक 18/04/2011 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के तत्कालीन खातेदार काश्तकार मोहनलाल पुत्र रूघनाथराम जाति बावरी निवासी खराडी तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. से सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद की थी तथा खरीद करने के पश्चात मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। उपरोक्त वर्णित आराजी बेचान होने के पश्चात सायल के नाम राजस्व रेकर्ड मे म्युटेशन पारित नही होने के कारण मोहनलाल पुत्र रूघनाथराम की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान गैरसायलान् ने विरासत के रूप में खुद के नाम म्युटेशन संख्या 2438 दिनांक 08/12/2021 को भरवा लिया जिससे गैरसायलान् के नाम राजस्व

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

रेकर्ड मे इन्द्राज हो गये जबकि गैरसायलान् का इस आराजी मे कोई हक अधिकार निहित नही था परन्तु फिर भी बेचान की गई भूमि का म्युटेशन गैरसायलान् ने अपने नाम करवा लिया जो कानूनन गलत एवं शून्य तथा निष्प्रभावी है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी सायल की खरीद सुदा होने के बावजुद भी मोहनलाल के वारिसान ने विरासत के रूप में अपने नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवा लिये जबकि गैरसायलान् को भली भांति जानकारी थी कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता व पति मोहनलाल जी ने सायल को बेचान कर रखी थी परन्तु फिर भी गैरसायलान् ने गैरकानूनी तरीके से राजस्व रेकर्ड मे म्युटेशन पारित करवाकर अपने नाम इन्द्राज करवा लिये जो. कतई गलत है तथा सायल के हितो के विरूद्ध बेअसर व शुन्य है। उपरोक्त वर्णित आराजी सायल के खरीद करने के पश्चात गैरसायलान् ने गलत तरीके से विरासत के रूप में अपनों नाम इन्द्राज करवा लिये जो विधिविरूद्ध है। सायल ने उक्त आराजी खरीद कर लीथी परन्तु राजस्व रेकर्ड मे सायल का नाम इन्द्राज नही होने से वादग्रस्त सम्पति मे विरासतश के रूप में गैरसायलान् के नाम इन्द्राज हो गये वर्तमान मे भी गैरसायलान् के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है जबकि वादग्रस्त सम्पति मे गैरसायलान् का कोई हक अधिकार नहीं है और न ही मौके पर गैरसायलान् का कोई कब्जा है इसलिए वादग्रस्त सम्पति के राजसव रेकर्ड मे से गैरसायलान् का नाम हटाकर सायल का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किये जाने हेतू यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा का विरूद्ध गैरसायलान् के पेश है। दिनांक 03/01/2024 को सायल अपनी आराजी में काश्त हेतू गया तब गैरसायलान् समी एक राय होकर मौके पर ओये तथा सायल को मौके से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी तथा स्वयं का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज होंने का कथन किया तब सायल ने गैरसायलान् से समझाईस की एवं रजिस्टर्ड बेचाननामा दिखाया और बताया कि सायल ने गैरसायलान् के पिता व पति मोहनलाल जी से उनके जीवनकाल मे ही उक्त आराजी खरीद कर ली परन्तु फिर भी गैरसायलान् नहीं माने और विवाद करने लगे तब सायल ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब सायल को जानकारी हुई कि सायल का नाम बेचाननामे के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे आज दिन तक इन्द्राज नही हुआ और बेचानकर्ता के फौत हो जाने से उनके वारिसान गैरसायलान् ने विरासत के रूप मे म्युटेशन दर्ज करवा लिया जबकि वादग्रस्त सम्पति बेचान हो जाने से गैरसायलान् के नाम दर्ज किया गया म्युटेशन सायल के हितो के विरूद्ध बेअसर एवं शुन्य है तथा कानूनन भी उक्त म्युटेशन शुन्य एवं निष्प्रभावी है इसलिए गैरसायलान् का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे एवं सायल को बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज किये जाने की घोषणा की जावे। गैरसायलान् के नाम वादग्रस्त सम्पति के राजस्व रेकर्ड मे गलत तरीके से इन्द्राज होने एवं मौके पर गैरसायलान् विवाद करते है या मात्र राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज हो जाने से यदि उक्त आराजी आगे से आगे रहन बेचान हस्तान्तरित होती है तो सायल गैरसायलान् के गैरकानूनी कृत्यो का विरोध करेगा जिससे मौके पर विवाद बढेगा तथा यदि गैरसायलान् बिना किसी अधिकार के इस वादग्रस्त सम्पति को आगे

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (पाली)

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (पाली)

हस्तान्तरित कर देते है तो सायल अपने जायज साम्पतिक हक अधिकारो से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। इसलिए सायल द्वारा सभी तरह के विवादो से बचने के लिये यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का गैरसायलान् के विरूद्ध पेश है। प्रार्थनापत्र में वर्णित तमाम तथ्यो, परिस्थितियो दस्तावेजात एवं मौके पर सायल का अपनी खरीद सुदा भूमि पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष में प्रमाणित है यदि गैरसायलान् राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अपने गलत नाम का नाजायज फायदा उठाकर वादी की खरीद सुदा भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है एवं वादी को उसके कब्जे से बेदखल कर देते है एवं कच्चा पक्का निर्माण कर देते है तथा सायल के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी तथा गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो का सायल मौके पर विरोध करेगा तो मौके पर वाद विवाद होगा तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी पेचीदगिया बढेगी जिससे सायल खर्चे से जेरबार हो जायेगा। इसलिए, गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को, रोके जाने बाबत् सायल के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित खसरा नम्बर 994 8 06 बीघा 18 बिस्वा मे से सायल अपनी खरीद सुदा आराजी में काश्त करे या करावे तो गैरसायलान् उनके नाकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार आदि कोई दखलन्दाजी नहीं करे व न ही करावे तथा उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन बेचान हस्तान्तरण नहीं करे व न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण करे गैरसायलान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद कें अंतिम निस्तारण तक रोका जावे तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को भी मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1,2, 4 से 7 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जो सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अप्रार्थीगण जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहते है, बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते हैः-

1. **<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>** :- प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा में कथन किया है कि सरहद मौजा खराडी पटवार हल्का डिगरना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. मे सायल की खरीद सुदा कब्जे

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (राज.)

काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 994/8 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त आराजी मे से सायल ने 50/138 वां हिस्सा अर्थात 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि सायल ने खरीद की तब से मौके पर निर्विवाद रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नकल रजिस्टर्ड बेचाननामा एवं जमाबन्दी की प्रार्थनापत्र के सांथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी सायल ने दिनांक 18/04/2011 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के तत्कालीन खातेदार काश्तकार मोहनलाल पुत्र रुघनाथराम जाति बावरी निवासी खराडी तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. से सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद की थी तथा खरीद करने के पश्चात मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। उपरोक्त वर्णित आराजी बेचान होने के पश्चात सायल के नाम राजस्व रेकर्ड मे म्युटेशन पारित नही होने के कारण मोहनलाल पुत्र रुघनाथराम की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान गैरसायलान् ने विरासत के रूप में खुद के नाम म्युटेशन संख्या 2438 दिनांक 08/12/2021 को भरवा लिया जिससे गैरसायलान् के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हो गये, जबकि गैरसायलान् का इस आराजी मे कोई हक अधिकार निहित नही था। परन्तु फिर भी बेचान की गई भूमि का म्युटेशन गैरसायलान् ने अपने नाम करवा लिया जो कानूनन गलत एवं शून्य तथा निष्प्रभावी है।

हमनें पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख का अध्ययन किया कि सरहद मौजा खराडी पटवार हल्का डिगरना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 994/8 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में से तत्कालीन खातेदार काश्तकार मोहनलाल पुत्र रुघनाथराम जाति–बावरी निवासी– खराड़ी ने अपना 50/138 वां हिस्सा अर्थात 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी को सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 18.04.2011 बैचान कर दी। परन्तु अप्रार्थीगण ने मोहनलाल पुत्र रुघनाथ की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान ने विरासत के रूप में म्युटेशन संख्या 2438 दिनांक 08. 12..2021 भरवा लिया। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.04.2011 को खरीद की गई थी, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त खसरा नंबर आराजी में प्रार्थी के हक–अधिकार निहित है।

अतः मूल वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– चूंकि पूर्व विवचेन बिन्दु संख्या 01 प्रार्थी के पक्ष में खसरा नम्बर 994/8 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हुआ है, अतः सुविधा का संतुलन भी इसी सीमा तक एवं इसी अनुरूप प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित एवं साबित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :– चुंकि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी का 50/130 वां हिस्सा खरीदशुदा होने के आधार पर वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है। साथ ही बिन्दु संख्या 01 व 02 प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित एवं साबित होता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है, अतः हम हस्तगत वादपत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 994/8 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करनें, तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करनें हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक विधि संगत एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता हैं। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम– खराड़ी, पटवार हल्का–डिगरना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र– निम्बोल, तहसील– जैतारण जिला–ब्यावर राज0 के खसरा संख्या 994/8 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में अप्रार्थीगण अपने हिस्से के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन, रहन बैचान व हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 22/10/2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)